



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम

दिनांक 27.09.2024

थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस टीम ने विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न इंश्योरेन्स कम्पनियों की पॉलिसी को रिओपन कराने तथा इन पर बोनस व टैक्स में छूट कराने के नाम पर कॉल करके ठगी करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.08.2024 को थाना साइबर क्राइम पर वादिया ने सूचना दी कि दिनांक 20/21.06.2024 को अज्ञात व्यक्ति की उसके व्हाट्सएप पर कॉल



आयी, जिसमें अभियुक्त द्वारा उसकी पूर्व में बन्द हो चुकी पीएनबी मैटलाईफ इन्श्योरेन्स पॉलिसी को पुनः शुरू करने की बात कही गयी तथा पॉलिसी के फर्जी डाक्यूमेन्ट भेजकर 2,20,000 रुपये की ठगी की गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 16/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस टीम द्वारा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न इंश्योरेन्स कम्पनियों की पॉलिसी को रिओपन कराने तथा इन पर बोनस व टैक्स में छूट कराने के नाम पर कॉल करके ठगी करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- अभियुक्तों के बैंक अकाउंट के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा संचालित NCRP PORTAL पर वर्तमान तक प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना साइबर क्राइम बागपत के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों से 11 शिकायतें प्राप्त हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से 3 लाख रुपये, बिहार से 5 लाख 62 हजार रुपये, मध्य प्रदेश से 4 लाख 51 हजार रुपये, हरियाणा से 7 लाख 27 लाख रुपये, शिमला से 52 हजार 738 रुपये, दिल्ली से 12 लाख रुपये, महाराष्ट्र से 2 करोड़ 24 लाख रुपये, बंगलुरु से 1 करोड़ 25 लाख रुपये, तेलंगाना से 30 लाख 50 हजार रुपये कुल लगभग 04 करोड़ 12 लाख 42 हजार 738 रुपये के फ्राँड की भी शिकायतें दर्ज हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1-शौकीन सैफी पुत्र अली हसन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।
हाल पता- मुस्तफाबाद कराबल नगर थाना कराबल नगर जनपद नोर्थ ईस्ट दिल्ली।
- 2-सचिन पुत्र स्व० सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।
हाल निवासी कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3-विनय तोमर पुत्र गुलशन कुमार निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-दीपक चौहान पुत्र सुखदेव सिंह निवासी ग्राम खड़खड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों की पॉलिसी जो कि पहले रुपये न देने के कारण बन्द हो चुकी होती है, उनकी जानकारी लेकर फर्जी नम्बर से व्हाट्सएप पर कॉल करते थे तथा पॉलिसी के फर्जी डाक्यूमेन्ट बनाकर भेज देते थे, जिससे उनको झांसे में लेकर रुपयों को ठगी कर लेते थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप ढौडियाल थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० श्री राघवेन्द्र कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
- 3-है०का० 460 मनीष त्यागी थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
- 4-है०का० 640 उमेश वर्मा थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
- 5-का० 229 देवेश कसाना थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
- 6-का० 986 प्रशान्त यादव थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 27.09.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 811/24 धारा 64(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 811/24



धारा 64(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजवीर पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 1038 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 27.09.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 02 वारन्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के



अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-हुकुम पुत्र कदम सिंह निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-अलीमुद्दीन पुत्र प्यारे निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 333 सतेन्द्र थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 704 सुनील थाना बालैनी जनपद बागपत ।